

**अधिसूचना संख्या 174/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1961(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 850 (ई) दिनांक 21 सितंबर, 2000 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 1 पर, "गुजरात कैंसर सोसाइटी, न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद-380 016, गुजरात" द्वारा "न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद-380 016, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त इलाज के लिए परियोजना" को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था; जिसे कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या एसओ 1249 (ई) दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 द्वारा आगे बढ़ाया गया था; जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1840(ई) दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2041(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1095(ई) दिनांक 14 मई, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.1146(ई) दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमानित लागत 611.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 860.00 लाख रुपए कर दी गई थी और आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.2041(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 द्वारा अनुमानित लागत 860.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 1110 लाख रुपए कर दी गई थी।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के पंद्रह साल से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 1110 लाख रुपये से बढ़कर 1360 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने तथा परियोजना लागत को 1110 लाख रुपए से संशोधित कर 1360 लाख रुपए करने की एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, - (क) एतद्वारा, "न्यू सिविल अस्पताल परिसर, असरवा, अहमदाबाद -380016, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त उपचार के लिए परियोजना" योजना या परियोजना को, जो "गुजरात कैंसर सोसाइटी, न्यू सिविल अस्पताल परिसर, असरवा, अहमदाबाद -380 016" द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है;

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 850(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 1 के सामने की तालिका में, कॉलम (4) में, "1110 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "1360 लाख रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■ ■